

# कार्यालय जिला बेरिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद

पत्रांक/मान्यता/ 24975-24979 / 2017-18  
प्रबन्धक,

दिनांक 03 जनवरी, 2018

होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल  
प्रसादपुर, सोरांव, इलाहाबाद।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।  
महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.08.17 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल प्रसादपुर, सोरांव, इलाहाबाद को दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री-प्राइमरी एवं प्राइमरी स्तर (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनित्य मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपांध 2) के उपर्योग का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की सख्त्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय का अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपर्योग के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसे प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता को किसी स्फीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपर्योग का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
  - i. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक का विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- v. अधिनियम के उपर्योग के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है, और
- viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलायों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुद्धित प्राथिकारी द्वारा अधिकथित पावर्यर्थ्यों के आधार पर पावर्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अनित्य निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
  - i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
  - ii. कुल निर्मित क्षेत्र
  - iii. क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

*R.*

iv.	कक्षाओं की संख्या	-	07
v.	प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार के लिए कक्ष	-	है
vi.	बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	-	है
vii.	पेयजल सुविधा	-	है
viii.	मिड डे भील पकाने के लिए रसोई	-	है
ix.	बाधारहित पहुंच	-	है
x.	अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करण/पुस्तकालय की उपलब्धता	-	है
9.	विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।	-	
10.	विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।	-	
11.	विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है। (सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या-264 / 2015-16, दिनांक 04.06.2015, रामचन्द्र एजूकेशनल वेलफेर सोसाइटी 146 / 2 / 33 टैगोर टाउन, इलाहाबाद)	-	
12.	स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।	-	
13.	विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।	-	
14.	आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 168 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।	-	
15.	विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।	-	
16.	सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।	-	
17.	संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।	-	

मवदीय

कुमार कुशवाहा । १३।

(संजय कुमार कुशवाहा)  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी

इलाहाबाद।

पृष्ठ/मान्यता/

/2017-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उठप्र० वैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 2- सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
- 3- खण्ड शिक्षा अधिकारी, सोरांव, इलाहाबाद।
- 4- कार्यालय गार्ड फाइल।

(संजय कुमार कुशवाहा)  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
इलाहाबाद।

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल  
प्रसादपुर सोरांव इलाहाबाद

पत्रांक: मा०शि०प० / मान्यता / इ / २५०७

दिनांक : ३१-०३-२०१६

विषय: सीधे / हाईस्कूल (६ से १०) (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में। (अंत्रेजी माम्रम)  
महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर समाप्ति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-७ क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल प्रसादपुर सोरांव इलाहाबाद को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2018 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वन टाइम ) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-७ क (क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

#### सामान्य प्रतिबन्ध


- (1.) प्रबन्धाधिकरण कक्षा-९ की कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण समग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।
- (2.) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को ९ वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3.) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4.) इस पत्र में आंकेत विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5.) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी;
- (6.) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

### विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूचनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 में अवस्थी व अन्य इनाम उठाप्रो राज्य व अन्य तथा समझद 05 अन्य विशेष अपील में माना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध माना उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले किलयरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

**टिप्पणी—** इस पत्र में अंकित समरत सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छ.) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

मान्दीय,

क्षेत्रीय सचिव,  
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
 क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।  


पृष्ठांकन सं:मा०शि०प०/१०का०इ०/मान्यता/

दिनांक

2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद।
- 2— सभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
- 3— हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
- 4— सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,  
 माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
 क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।